बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी अत्यावश्यक सूचना

दिनांक 02 नवम्बर, 2014 ई0।

सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार बिहार राज्य के 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 01.01.2015 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर किया गया है। इसके साथ ही दिनांक 01.01.2015 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार प्रारूप फोटो निर्वाचक सूची (फोटो रहित) की पी.डी.एफ. प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाईट *http://ceobihar.nic.in* पर प्रकाशित कर दी गई है। प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन की तिथि दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। फोटो निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 15 जनवरी, 2015 को होगा। फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम निम्नवत् है :–

क्रमांक	गतिविधि	तिथि
1	2	3
1	दिनांक 01.01.2015 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन	01 नवम्बर, 2014 (शनिवार)
2	दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि	01 नवम्बर, 2014 (शनिवार) से 01 दिसम्बर, 2014 (सोमवार)
3	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों तथा आवासीय कल्याण संघ की बैठकों इत्यादि में संबंधित भाग/प्रभाग के फोटो निर्वाचक सूची को पढ़ा जाना तथा नामों का सत्यापन	03 नवम्बर, 2014 (सोमवार) एवं 17 नवम्बर, 2014 (सोमवार)
4	विशेष अभियान की तिथि	09 नवम्बर, 2014 (रविवार) एवं 23 नवम्बर, 2014 (रविवार)
5	दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन	16 दिसम्बर, 2014 (मंगलवार)
6	डाटाबेस का अद्यतीकरण, छायाचित्रों की मर्जिंग, कंट्रोल टेबल का अद्यतीकरण एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण	08 जनवरी, 2015 (वृहस्पतिवार)
7	दिनांक 01.01.2015 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन	15 जनवरी, 2015 (वृहस्पतिवार)

उपर्युक्त क्रमांक 2 पर अंकित अवधि (01 नवम्बर, 2014 (शनिवार) से 01 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) तक) में निर्वाचक होने की अर्हता प्राप्त व्यक्ति निर्वाचक के रूप में अपना नाम अंकित कराने हेतु प्ररूप 6 में, निर्वाचक सूची में प्रविष्ट किसी नाम को विलोपित कराने हेतु प्ररूप 7 में तथा अपने नाम अथवा अन्य प्रविष्टियों की त्रुटि का निराकरण कराने/किसी संशोधन के लिये प्ररूप 8 में तथा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे में नाम स्थानान्तरण हेतु प्ररूप 8क में अपने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष/विनिर्दिष्ट स्थल पर या अपने बी0एल0ओ0 के माध्यम से अथवा ऑनलाईन विहित प्ररूप में, दावा या आपत्ति दायर कर सकते हैं। अप्रवासी भारतीय निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने हेतु प्रपत्र 6क में आवेदन कर सकते हैं। 01 दिसम्बर, 2014 के पश्चात् निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन (दिनांक 15.01.2015) तक दावों या आपत्तियों से संबंधित कोई भी आवेदन (प्ररूप 6, 6क, 7, 8 एवं 8क) स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त विहित प्ररूप निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (समाहरणालय/अनुमंडल कार्यालय), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (प्रखंड कार्यालय) अथवा मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। ये प्ररूप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट *http://ceobihar.nic.in* तथा भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट *http://eci.nic.in* पर भी उपलब्ध हैं।

ह0/–
(अजय नायक)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

''मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी''